अपशिष्ट प्रबंधन नीति

1.0 दर्शन

पावरग्रिड, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारी से अवगत है और तदनुसार, अपनी पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ESPP) में सूचीबद्ध प्रमुख सिद्धांतों का पालन करते हुए, सर्वोत्तम प्रबंधन को नियोजित करके अपनी गतिविधियों में उत्पन्न अपशिष्ट सामग्री का प्रबंधन करता है। लागू कानूनों के साथ पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, हम 2030 तक 'ए जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कॉर्पोरेट' का दर्जा हासिल करने और बनाए रखने की आकांक्षा रखते हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप से पर्यावरण प्रबंधन और विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि मानव शक्ति को उचित अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके एवम किसी भी गैर-अनुपालन के के साथ युक्त खतरों, लागू नियामक ढांचे और हमारी गतिविधियों में उत्पन्न कचरे के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में शिक्षित किया जा सके।

2.0 कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता

अपशिष्ट प्रबंधन नीति पावरग्रिड के पूर्ण स्वामित्व वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होती है।

3.0 दृष्टिकोण और फोकस क्षेत्र

विशेष रूप से, हमारे अपशिष्ट प्रबंधन सम्बंधित प्रयास निम्नलिखित पर केंद्रित हैं:

उत्पन्न कुल और खंडवार कचरे की सूची बनाना;

उत्तरोत्तर अपशिष्ट उत्पादन की तीव्रता न्यून करना;

आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए, जहाँ भी संभव हो, कचरे का पुन: उपयोग करें;

लाभकारी उपयोगों के लिए अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण;

अवशिष्ट अपशिष्ट को सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल तरीके से निस्तारित करें।

4.0 कार्यान्वयन

कार्यकारी निदेशक (ईएसएमडी और सीएसआर) संगठन में नीति के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। क्षेत्रीय/विभागीय स्तर पर संबंधित कार्यपालक निदेशक नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि उपकेन्द्र/स्थापना स्तर पर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित उपकेन्द्र/कार्यालय प्रभारियों की होगी।

5.0 संरेखण

नीति पावरग्रिड की ईएसपीपी, ईएसजी नीति, आईएसओ 14001-2015 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, एसडीजी11: सतत शहरों एवम समुदायों और एसडीजी12: जिम्मेदार खपत और उत्पादन के अनुरूप है।

6.0 समीक्षा और संशोधन

अपशिष्ट प्रबंधन नीति बदलते नियामक ढांचे और व्यवसाय की गतिशीलता के साथ-साथ हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप आवधिक समीक्षा और संशोधन के अधीन होगी। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (परियोजनाएं) नीति में कोई भी संशोधन करने के लिए अधिकृत हैं, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो सकता है, परिवर्तनों के बारे में बाद में बोर्ड को सूचित किया जाएगा।